



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना चिकासी में पंजीकृत मु0अ0सं0-114/23 धारा- 328,376,313,506 भा0द0सं0 व 06 पाक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मार्ग न्यायालय पाक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रामसनेही पुत्र कूरा अहिरवार निवासी ग्राम टोलाखंगारन, थाना चिकासी, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक एडीजीसी रुद्रप्रताप सिंह



विवेचक- निरी० आशुतोष कमार



पैरोकार थाना - चिकासी का० विजय